**धारा 80 सि. प्र. सं. के अधीन नोटिस**

**सचिव, रक्षा मंत्रालय के जरिये भारत संघ को नोटिस**

प्रेषक

...........................

अधिवक्ता

तारीख......................

सेवा में

सचिव, ......................

मंत्रालय नयी दिल्ली

श्रीमान जी

मेरे मुवक्किल .... पुत्र ................ निवासी वेतन खाता सं ................ के निर्देशों के अधीन और उसकी ओर से, मुझे आप पर निम्नलिखित नोटिस की तामील करना है

1. यह कि मेरे मुवक्किल को तारीख ................ को कमान्डिग आफीसर..........विंग एअर स्टेशन के कार्यालय में एक पेन्टर के रूप में नियुक्त किया गया और ................ रुपये भवन किराया भत्ता सहित सी. सी. सी...... रुपये सहित ................ रुपये /वर्तमान समय में प्राप्त कर रहा है। मेरे मुवक्किल को कथित सेवा के लिए उपलब्धि के रूप में ................ रुपये का संदाय किया जा रहा है।
2. यह कि मेरा मुवक्किल अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक ढंग से तथा तत्परता से निर्वहन कर रहा है और कोई भी बात ऐसी नहीं की है और न ही करने का लोप किया है जिससे उसकी सेवा की निन्दा की जा सके।
3. यह कि दुर्भाग्यवश, वर्ग कैप्टन ................ तब कमाण्डिंग अधिकारी ...........वायु बल मेरे मुवक्किल के विरुद्ध एक पक्षद्रोही दृष्टिकोण अपनाया है - कि उसके गह कार्य करने के लिए उसकी भावना में उपयुक्त नहीं था और तारीख को मेरे मुवक्किल को यह चेतावनी दी गयी कि चूँकि उसने अतिरिक्त कार्य करने के लिए आदेशों का अनुपालन नहीं किया था इसलिए उसको अनुभाग के आदेशों का अनुपालन करना चाहिए।
4. यह कि मेरे मुवक्किल के विरुद्ध कथित अभिकथन पूर्णतया मिथ्या थे और स्वाभाविक तौर पर उसके साथ किये गये इस पूर्णतया अनाधिकृत संव्यवहार के विरुद्ध विरोध किया लेकिन दुर्भाग्यवश इसने मामले को गुरुतर बना दिया और उसको भ्रष्टाचार, अवचार के आरोप पर अन्य बातों के साथ-साथ उसके पत्र दिनांकित .......... द्वारा ज्येष्ठ प्रशासन कमाण्डिंग अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया और कर्तव्यों की उपेक्षा की है.
5. यह कि कथित मुवक्किल के विरुद्ध कथित आरोप का एक सही उत्तरदाखिल किया और आकस्मिक तौर पर कथित आरोप की निरर्थकता का अनुभव कर आरोप वर्ग कमाण्डिंग अधिकारी द्वारा तारीख ................ को वापस किया गया।
6. यह कि उसकी सेवा से मेरे मुवक्किल को दूर करने का उनके निष्कल प्रयासों में असफल हो जाने पर कमाण्डिंग अधिकारी उसके पत्र दिनांकित...............द्वारा नोटिस की तामील से एक महीने की समाप्ति की तारीख से प्रभाव के साथ मेरे मुवक्किल की सेवाए समाप्त कर दी है कि उसकी सेवाओ की विभाग द्वारा अपेक्षा नहीं गयी। यह कि मेरे मुवक्किल की समाप्ति का कथित आदेश पूर्णतया अवैधानिक, असद्भावना पूर्ण, अधिकारातीत तथा नि. अन्य आधारों के बीच निम्नलिखित के लिए मेरे मुवक्किल को सत्यापित करने वाला है

(क) क्योंकि मेरे मुवक्किल की सेवाए सदभावना से नही बल्कि दण्ड के रूप में समाप्त कर दिया जाने के लिए ईप्सित है।

(ख) क्योंकि मेरे मुवक्किल की सेवाए इस आधार पर असद्भावना पूर्वक समाप्त किया जाने के लिए ईप्सित है कि मेरे मुवक्किल के विरुद्ध लगाये गये आरोप मिथ्या पाये गये और साबित नहीं किये गये और मिथ्या आरोपों पर मेरे मुवक्किल को हटाये जाने में स्वाभाविक परेशानियों पर विजय प्राप्त करने के लिए मात्र आच्छादन है।

(ग) क्योंकि सेवा से मेरे मुवक्किल को हटाना एक धब्बा सहित इसे लेकर चलता है। जिसका मेरा मुवक्किल बिल्कुल दोषी नहीं है और एक मात्र इसी लेखे पर (Stack down) किया जाने योग्य है।

(घ)क्योंकि मेरे मुवक्किल की सेवाए मात्र समाप्त कर दिये जाने के लिए ईप्सित हैं क्योंकि वह तभी कमाण्डिंग अधिकारी के अस्थिर मानसिकताओं में उपयुक्त होने में समर्थ नहीं था जो शासकीय कर्तव्यों के अलावा उसको अपना कार्य करने की मेरे मुवक्किल से इच्छा करता था।

(ङ) क्योंकि कोई उचित अवसर मेरे मुवक्किल को नहीं दिया गया।

(च) क्योंकि नोटिस विलकुल अवैधानिक तथा विधितः अवैध है और मेरे मुवक्किल की सेवाए विधि मान्य ढंग से नहीं समाप्त की गयी है।

1. यह कि अन्य बातों के साथ-साथ कारणोंवश, यथा उपरोक्त मेरे मुवक्किल की सेवाए कानूनी तौर पर नहीं समाप्त की गयी है या वे इस प्रकार समाप्त कर दिया जाने में समर्थ है और मेरा मुवक्किल एक घोषणा का हकदार है कि वह जारी रखता है और यथा पूर्व सरकारी सेवा में बना रहना समझा जायेगा।
2. यह कि मेरा मुवक्किल इसके पूर्व होने के रूप में उपलब्धियाँ रखने के एक अनुतोष पाने का हकदार है।

अतएव, यह धारा 80 , सि. प्र. सं. के अधीन एक नोटिस के साथ आप पर तामील कराने तामील करवाना है कि सरकार मेरे मुवक्किल की सेवाओ को समाप्त करने के लिए ठीक, नही करेगा और उसकी उपलब्धियों के संदाय किया जाना चाहिए क्योंकि जिसके दो महीने की समाप्ति पर असफल हो जाने के पूर्व मेरा मुवक्किल लागतो एवम् उन परिणामों के बारे में सरकारी जोखिम पर यथा ऊपर कथित वाद हेतुक पर यथा उपरोक्त अनुतोषों के लिए वाद दाखिल करने के लिए मजबूर किया जायेगा जिन पर आप कृपया ध्यान दे।

**आपका शुभचिंतक**

**अधिवक्ता**